

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सूरि.स 11 दिनांक 26.04.2016

2. अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं -----

(क) घटना का दिन मंगलवार दिनांक से दिनांक 26.04.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 26.04.2016 समय 2.30 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 7 समय 02.40 पी.एम

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) जानिब दक्षिण लगभग 60 कि०मी०

(ख) पता : गढी अलावलपुर जिला रेवाडी

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) धारूहेडा रेवाडी

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : भूप सिंह

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री मंगत राम

(ग) (जन्म तिथि)

(घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि)

(जारी करने का स्थान)


(च) (व्यवसाय) सरकारी नौकरी

(पता) गांव गढी अलावलपुर थाना धारूहेडा जिला रेवाडी

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)


अजीत सिंह, मुख्य अध्यापक गढी अलावलपुर स्कूल जिला रेवाडी

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक कृष्ण कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी बदस्त ई०एच०सी० हरपाल सिंह न० 289/रेवाडी बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है " सेवा में श्रीमान इन्सपैक्टर विजिलेंस, रेवाडी महोदय जी, निवेदन है कि मैं भूप सिंह पुत्र श्री मंगतराम जाति जटीया (चमार) गांव गढी अलावलपुर जिला रेवाडी का रहने वाला हूँ और मैं बतौर मुख्य शिक्षक के पद पर गांव के स्कूल में ही पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ मेरा (3<sup>rd</sup> ACP) में वेतन निर्धारित कराने



हेतु श्री अजीत सिंह मुख्य अध्यापक द्वारा किया जाना है जो जनवरी 2015 से देय है। 3<sup>rd</sup> ACP Pay fixation (द्वैत निर्धारित) करने हेतु बतौर रिश्वत 2000/-रु मांग रहा है जो कि मैं नहीं देना चाहता और श्री अजीत सिंह बिना रिश्वत लिये मेरा काम नहीं करेगा। इसलिये अजीत सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जावे। भवदीय हस्ता हिन्दी भूप सिंह पुत्र मंगत राम गांव गढी अलावलपुर तहसील धारुहेडा थना धारुहेडा जिला रेवाडी मो0 न0 9812510516 कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय उप केन्द्र रेवाडी हूँ कि श्री भूप सिंह ने हमरा आकर मन निरीक्षक को एक लिखित दरखास्त बाबत भ्रष्टाचार पेश की मजबून दरखास्त से सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर एक रैडिंग पार्टी जिसमें ए0एस0आई0 महाबीर सिंह, ए0एस0आई0 सतबीर सिंह न0 627/नारनौल, ई0एच0सी0 हरपाल 289/रेवाडी मय गाडी सरकारी न0 एच0आर0 55 जी0 6999 मय ड्राईवर अमर सिंह को शामिल करके बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0एच0सी0 हरपाल 289/रेवाडी के अरसाल थाना एस0वी0बी0 है। बाद कायमी मुकदमा न0 पर्चा से सूचित करे। स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मैसेन्जर ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय मुदई को हमरा लेकर मय तफतीशी बैग मय रैडिंग पार्टी बराये कराने नियुक्त ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व अनुमति रैड बा सवारी सरकारी गाडी मय चालक अमर सिंह के रवाना कार्यालय उपायुक्त रेवाडी का होता हूँ। हस्ता अग्रेजी निरीक्षक कृष्ण कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी दिनांक 26.04.2016 समय 12.15 पी0एम0 अज कार्यालय :- राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी। अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया एफ0आई0आर0 की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरानबाला को नियमानुसार भेजी जावेगी। एक पर्त एफ0आई0आर0 बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त ई0एच0सी0 हरपाल सिंह 289/रेवाडी भेजी जा रही है। असल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी इसी आरिन्दा ई0एच0सी0 हरपाल सिंह 289/रेवाडी के हवाले की गई।

Attested



निरीक्षक  
चौकसी ब्यूरो (70)  
गुरुदास नगर पुलिस थाना

थाना प्रभारी का नाम

नाम : जय भान

पद : निरीक्षक

दिनांक 26.04.2016 समय 04.00 पी.एम

